XXXIX(a)-BR(H)-11

लि

75

न्यायालय अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल

प्र0क्र0 / री–2 / 2017 / 9996 भोपाल, दिनांक 13–12–2017

PBR/ विविध/भोपाल/भू.रा/2018/0316

प्रति,

अध्यक्ष महोदय,
माननीय राजस्व मण्डल,
म0प्र0 ग्वालियर।

विषय :– प्र0क्र0 121 / पुर्नस्थापन / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 11–08–2017 राजेश बाधवानी व अन्य विरु– श्यामनाथ शर्मा'' में पुर्नवलोकन बावत।

––00––

आवेदक श्री राजेश बाधवानी व अन्य के द्वारा इस न्यायालय के प्रकरण क्र0 121 / पुर्नस्थापन / 2013–14 में मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–08–2017 को म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत पुर्नवलोकन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

2 / प्रकरण के तथ्य संक्षेप में यह है कि अ0वि0अ0 रा0परि0 वृत भोपाल के न्यायालयीन प्र0क्र0 13 / अपील / 06–07 में पारित आदेश दिनांक 14–12–2006 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील प्रसतुत की गई जो अनावेदकगण की अनुपस्थिति में दिनांक 15–06–2011 को संहिता की धारा 35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया। जानकारी होने पर अनावेदक द्वारा उक्त प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेने हेतु दिनांक 15–07–2011 को संहिता की धारा 35(3) के तहत आवेदन पत्र पेश किया गया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटी0 क्र0 14737 / 15 निर्णय दिनांक 11–09–2015 के द्वारा रेवेन्यू बोर्ड एवं उपरोक्त विवादित भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय में चल रही कार्यवाही को स्थगित किये जाने के आदेश पारित किये गये है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति दिनांक 05–1–16 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की जिसे रिकार्ड पर लेते हुये 24–04–16 को प्रकरण विचारार्थ रखा गया। मा0 न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावशील रहने के दौरान भी प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुये मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 11–08–2017 को संहिता की धारा 35(3) के आवेदन पत्र को निरस्त कर मुख्य अपील की सहायता गुण–दोषों पर इस आवेदन पत्र के माध्यम से प्रदान कर दी गई जिसका अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है।

अतः उक्त विषयांकित प्रकरण में पुर्नवलोकन की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न – उक्त न्याया. का
प्र.क्र. 121 / पुनर्स्थापन / 2010–11

(रवीन्द्र कुमार मिश्रा) 13/12/17
अपर आयुक्त
भोपाल संभाग, भोपाल

Issue notice to parties

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/विविध/भोपाल/भू.रा.2018/316

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-8-2018	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक शासन द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में चाहे अनुसार प्रकरण क्रमांक 121/पुर्नस्थापन/2013-14 राजेश बाधवानी व अन्य विरूद्ध श्यामनाथ शर्मा में पारित आदेश दिनांक 11-8-2017 के पुनर्विलोकन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि अनुसार प्रकरण का निराकरण करें । अध्यक्ष	